फर्द अहकाम

बी०सी० सांखला बनाम बोदूराम व अन्य

[illegible]/6/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाव हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.04.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नोटिस जारी 3147-3151 [illegible]
8/4/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य [illegible] व्यस्त है। अतः प[illegible] दिनांक 13/5/24 को पेश हो।	
13/5/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 उपस्थित अप्रार्थी स० 1 की ओर से [illegible] [illegible] ने वकालतनामा पेश किया वास्ते जवाब/तलबी हेतु [illegible] 28/5/2024 को पेश हो उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	C.R. [illegible] 13/5/24
[illegible]24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 [illegible] प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3022/1 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि

B. C. Shankla

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :46/2024
निर्णय दिनांक : 28.05.2024

1. बी.सी. सांखला पुत्र श्री सी.आर. सांखला, निवासी प्लाट न. 73, अर्पित नगर, गाँधी पथ, वैशाली नगर, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बोदूराम पुत्र श्री मदनलाल बलाई, निवासी ग्राम कुडली, तहसील व जिला सीकर।
2. श्री रामचन्द पुत्र श्री गोबिन्दा रैगर, निवासी प्लाट न.–44, चित्रगुप्त नगर प्रथम, करतारपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
3. श्रीमती सुन्दरी देवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मणप्रसाद रैगर निवासी प्लाट न. –44, चित्रगुप्त नगर प्रथम, करतारपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जरिये सचिव, रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3022/1 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की स्वतन्त्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रार्थी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को विकसीत कर चारो ओर से पुख्ता बाउण्ड्रीवाल एवं तार–फैंसिंग से महदूद करना चाहा है इसलिए उक्त विकास कार्य से पूर्व प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 20–2–2024 को उप–तहसीलदार बगरूकलां से करवा लिया है और अब केवल मात्र उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में उपरोक्त वर्णित भूमि के पडौसी काश्तकार है के मध्य उपरोक्त वर्णित भूमि की सीमाओं को लेकर कोई वाद–विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित भूमि एवं इसके आस–पास के किसी भी खसरा नंबर में मौके पर काश्त नहीं हो रही है और ना ही मौके पर फसल आदि मौजूद है इसलिए सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) किये जाने में कोई वैधानिक रूकावट अथवा विधिक व्यवधान नहीं है। विधिक बाध्यता की वजह से प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि से सीवांजोड चारो ओर के खातेदारो को उक्त आवेदन में पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 ज.वि.प्रा. प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि के सीवाजोड खसरा नम्बर 2902 एवं 3025 के रेकार्डेड खातेदार है इसलिए उन्हें उक्त आवेदन में पक्षकार पक्षकार अप्रार्थी संख्या 4 बनाया गया है अन्य कोई अनुतोष अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 5 राजस्थान राज्य सरकार भूमि अधिकारी है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश की पालना उन्हीं के द्वारा की जानी है इसलिए उन्हें उक्त आवेदन में पक्षकार अप्रार्थी संख्या 5 बनाया गया है अन्य कोई अनुतोष अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध नहीं चाहा गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उप–तहसीलदार बगरूकलां को उपरोक्त वर्णित भूमि का पुलिस जाप्ता लेकर (पत्थरगढी) कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार घटाला ने वकालतनामा पेश किया, पत्रावली वास्ते जवाब/तलवी हेतु नियत की गई।

पत्रावली में बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की वाके ग्राम बगरूकलां, पटवार हल्का बगरूकलां ए व बी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 3022/1 रकबा 0.64 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.02.2024 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)